न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 2024 / 15

उनवान

देवीलाल पिता हिरा, जाति पटेल, निवासी नवागांव, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 06.8.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के नाम से राजस्व अभियान प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रार्थी को वाके ग्राम नवागांव, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा की कृषि भूमि जिसका खाना संख्या 910 नया, पुराना 828 के सर्वे नम्बर 693 रकबा 0.20, सर्वे नम्बर 3853 रकबा 0.32, सर्वे नम्बर 3842 रकबा 0.04, कुल खसरे –3 कुल रकबा 0.56, वाके ग्राम नवागांव, पटवार जिला हल्का साकरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडा, तहसील गढ़ी, बांसवाड़ा में स्थित है। जो कि उक्त अभियान में दिनांक 15.02.2013 में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की गई है एवं नियमानुसार उक्त भूमि का प्रीमियम भरकर प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार कृषक बना है एवं वर्तमान में प्रार्थी उक्त खेतों का एकमात्र खातेदार होकर उस पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। आवंटन के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आवंटन का नियमानुसार जरिये मुटेशन संख्या 1239 दिनांक 15.02.2013 को खोला गया जिसमें प्रार्थी का नाम देवीलाल पिता हिरा के साथ मानेंग दर्ज कर लिया गया है और राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण हुआ है एंव फिर नामान्तरकरण संख्या 1628 दिनांक 19.08.2019 में खातेदारी अधिकार दिये गये है, उसमें जमाबन्दी में प्रार्थी आवंटी का नाम देवीलाल पिता मानेंग दर्ज कर दिया गया है एवं साथ में हिरा पिता मानेंग को भी सहखातेदार दर्ज बताया है जबकि वास्तव में प्रार्थी के पिता का नाम हिरा है, परन्तु उसके स्थान पर उसके दादा मानेंग का नाम लिख दिया गया है एवं वर्तमान खाते में प्रार्थी देवीलाल को उसके पिता स्व. हिरा को भाई बता दिया गया है जो कि राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के नाम गलत नाम दर्ज कर दिया गया है एवं प्रार्थी ने इस हेतु माननीय तहसीलदार साहब के वहां प्रार्थना पत्र पेश कर देवीलाल पिता मानेंग की जगह हिरा दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था व साथ में हिरा पिता मानेंग का नाम जो गलत दर्ज कर दिया गया है, उसे हटाने के लिये शुद्धि करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर श्री तहसीलदार साहब ने आप न्यायालय एस.डी.ओ. साहब के यहां शुद्धिकरण का प्रार्थना पत्र पेश करने का कहां, इसलिये प्रार्थी खाते में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु उसके पिता हिरा पिता मानेंग का नाम हटाने इस आशय के शुद्धिकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी को उक्त खाते की कृषि भूमि में उसके पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण उसे भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है, उसे उक्त भूमि में लोन भी प्राप्त नही हो रहा है और राज्य सरकार द्वारा फसल आदि खराबी की जो अनुदान राशि दी जाती है वह भी प्राप्त नही हो पा रही है, इसलिये उसे बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का उक्त शुद्धिकरण प्रार्थना पत्र सद्‌भावी है एवं उसके आवंटन प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी का नाम देवीलाल पिता हिरा दर्ज है एवं इसके अनुसार ही खाते में उसका नाम दर्ज होना था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के प्रार्थी के पिता हिरा के नाम के स्थान पर मानेंग दर्ज कर दिया है जो कि मानेंग प्रार्थी का दादा है एवं जमाबन्दी में प्रार्थी को उसके पिता को सगे भाई बता दिये गये है जबकि उसके पिता का इस खाते व आवंटन में कोई लेना देना नही है, इसलिये नियमानुसार राजस्व कर्मचारियों से जांच करवाकर उक्त बताये खाते की भूमि में प्रार्थी का नाम देवीलाल पिता हिरा जाति पटेल निवासी नवागांव, बांसवाड़ा दर्ज किये जाने व उसके पिता हिरा पिता

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:19:19 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मानेंग का नाम हटाये जाने, इस आशय का राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धिकरण करने हेतु यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, गढ़ी के नाम सम्मन जारी किया जाने पर अप्रार्थी भूमिधारी, तहसीलदार गढ़ी का जवाब प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि पटवार हल्का साकरिया के राजस्व ग्राम नवागांव के प्रार्थी देवीलाल पिता हिरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में खाता संख्या 910 में आराजी नम्बर 693 रकबा 0.20 हे0, आराजी नम्बर 3853 रकबा 0.32 हे0, आराजी नम्बर 3842 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.56 हे0 भूमि प्रशासन गांवो के संग अभियान–2013 में उक्त आराजी नम्बर प्रार्थी को देवीलाल पिता हिरा (मानेंग) जाति पटेल निवासी नवागांव के नाम आवंटन होकर जरिये नामा. संख्या 1239 दिनांक 17.6.2013 से प्रार्थी देवीलाल पिता हिरा पिता मानेंग पटेल सा. देह गैर खातेदार दर्ज हुआ। नाम. संख्या 1658 दिनांक 3.2.2019 से खातेदारी प्रार्थी को प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी का नाम देवीलाल पिता हिरा पिता मानेंग जाति पटेल के नाम से दर्ज हुआ। खातेदार देवीलाल पिता हिरा (मानेंग) नाम से आवंटन भूमि में आवंटन आदेश में मानेंग का नाम व हाल जमाबन्दी वर्ष 2078 में हिरा पुत्र मानेंग 1/2 दर्ज हो गया है जो सेवन से दर्ज हो गया है। खातेदार देवीलाल पिता हिरा एक ही खातेदार है। मानेंग देवीलाल के दादाजी है।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, भूमि आवंटन आदेश की छाया प्रति, गांव नवागांव की संवत 2075–2078 के खाता संख्या 910 (नया) 828 (पुराना) कुल किता 3 रकबा 0.56 हे0 की जमाबन्दी, नामान्तरकरण संख्या 239 की छाया प्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति, हिरा पिता मानेंग के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, प्रार्थी के निर्बाचन पहचान–पत्र की छाया प्रति, एंव तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर पटवार हल्का साकरिया के मौजा नवागांव की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 910 (नया) 828 (पुराना) के कुल किता 3 रकबा 0.56 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् के स्थान पर देवीलाल पिता हिरा जाति पटेल सम्पूर्ण हिस्सा बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.8.2024 को सुनाया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:19:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

06.8.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र एवं T.D.R. की रिपोर्ट अनुसार पृथक
से निर्णय जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:19:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner